सख्या-7/2016/987/44-1-2016-53/2013

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 **लखनउ -दिनांक - 14 सितम्बर,2016**

विषय- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों को वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5/2016/445/44-1-2016--53/2013, दिनांक 24 अगस्त,2016 त्रुटिवश निर्गत हो गया है, जबकि कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण की जानी है ।

अत शासनादेश संख्या-5/2016/445/44-1-2016--53/2013, दिनांक 24 अगस्त,2016 निरस्त किया जाता है । उक्त शासनादेश के आधार पर कोई कार्यवाही न की जाय ।

भवदीय,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव ।

संख्या-7/2016/987(1)/44-1-2016-53/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- **सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।**
2- **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।**
3- **वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।**
4- **वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 ।**
5- **उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरों, जवाहर भवन,लखनऊ को वेबसाइट पर डालने हेतु ।**
6- **महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
7- **सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/सार्वजनिक उद्यम विभाग, आडिट प्रकोष्ठ वाणिज्यिक ।**
8- **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

मुरारी लाल
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in